कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, कटिहार
जिला– कटिहार

महाशय,

नगर निगम, कटिहार के वर्ष 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1110 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 4 सप्ताह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14756 / 142 दिनांक–31.08.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, कटिहार

तनवीर हसन 31/08/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1110/17–18
भाग–I
प्रस्तावना

1.	कार्यालय का नाम	नगर निगम कटिहार
2.	महापौर	श्री विजय सिंह 01.04.16 से अबतक
3	उपमहापौर	श्री मंजूर खान 01.04.16 से अबतक
4	नगर आयुक्त का नाम एवं पता:	श्री अजय कुमार ठाकुर 01.04.16 से अबतक
5.	लेखा परीक्षा की अवधि :	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक
6.	लेखापरीक्षा की तिथि:	01.12.2017 से 27.12.2017 तक (21 कार्य दिवस)
7.	विस्तृत जाँच का माह	जून 2016,एवं अप्रैल16
8.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री एस.के.वर्मा, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री आलोक कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 3. श्री अजय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 4. श्री विजेश्वर कुमार, लेखा परीक्षक
09	लेखापरीक्षा का विस्तार	नगर निगम कटिहार के अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया। विस्तृत जाँच का माह जून 2016 एवं अप्रैल 16 में कोषागार/बैंक से निकासी की गई राशि तथा माह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक के दौरान बैंक/कोषागार में जमा की गई राशि का मिलान विभिन्न बैंक/कोषागार के भुगतान एवं प्राप्ति अनुसूची से की गयी।
10	क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार विमर्श किया गया	हाँ, नगर आयुक्त, नगर निगम कटिहार से लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई नगर निगम, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II

खण्ड– क–शून्य

खण्ड–ख

कंडिका 1 विद्युत विपत्र भुगतान रू. 101.22 लाख

नगर निगम कटिहार में विद्युत विपत्र की संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विद्युत विपत्र में विलम्ब शुल्क (DPS) की राशि का भुगतान रू0 8431552 नगर निगम कटिहार के द्वारा किया गया था। विलम्ब शुल्क (DPS) राशि निम्नानुसार थी–

विद्युत विपत्र सं.	विद्युत विपत्र माह	विद्युत विपत्र तिथि	विद्युत विपत्र राशि	भुगतान की राशि	विलम्ब शुल्क
10030619727	07/2017	23.08.2017	124476212	56796852	8431552
10031836133	08/2017	18.09.2017	61123936	0.00	1691310

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. सरकार के निर्देशानुसार राशि रू. 8431552 का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। राशि रू. 8431552 की हानि नगर निगम कटिहार को हुई थी जो संबंधित संस्था से वसूलनीय है।
2. विपत्र संख्या 10030619727 दिनांक 23.08.17 के अवलोकन में पाया गया कि अन्य शुल्क की राशि 6092192 सरकारी संस्था को देय नहीं है। जिसे विपत्र में छूट भी दिया गया था। किन्तु खण्ड अ में दर्शायी गयी कुल पूर्व बकाया 120270736 राशि में से अन्य प्रभार 40710243 से छूट नहीं दिया गया था।
3. उर्जा शुल्क तथा विद्युत शुल्क के बीच भेद स्पष्ट नहीं किया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि विद्युत विभाग से पत्राचार कर समायोजन किया जायेगा। अतः उक्त का समायोजन के उपरांत अंकेक्षण कार्यालय महालेखाकार बिहार को अवगत कराया जाये।

कंडिका 2 एल0ई0डी0लाइट की खरीद में अनियमितता

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1273/2016–17 के भाग II (क) के कंडिका संख्या 1 तथा वर्ष 2016–17 में एल0ई0डी0 लाईट कय पर किये गये भुगतान के संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि :–

1. नगर निगम बोर्ड के बैठक दिनांक 06.06.14 के प्रस्ताव सं0– 21 अन्यान्य–4 में 200 पीस फैन्सी एल.ई.डी. लाईट खरीदनें का निर्णय लिया गया।
2. तत्पश्चात प्रथम बार दिनांक 6.01.2015 को दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में निविदा निकाली गयी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से निविदा रद्द की गयी। (11/2014-15) पुनः दूसरी बार दिनांक– 28.01.15 को दैनिक सामाचार पत्र में निविदा निकाली गयी, जिसकी निविदा सूचना सं– 15/2014–15 है। परन्तु अपरिहार्य कारणों से पुनः निविदा को रद्द किया गया।

3. तत्पश्चात पुनः दैनिक सामाचार पत्र 'प्रभात खबर' एवं 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 16.02.15 को सूचना सं0 20/14–15 द्वारा निविदा निकाली गयी। निविदा में निविदा देने की तिथि 26.02.15 थी एवं निविदा खोलने की तिथि भी 26.02.15 ही निर्धारित की गयी थी।
4. निविदा में पांच निविदादाताओं ने निविदा डाली।
5. कार्यालय ज्ञापांक सं0 401/26.02.15 द्वारा क्रय समिति के सदस्यों यथा अपर समाहर्ता कटिहार, जिला लेखा पदाधिकारी एवं जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी को क्रय समिति की बैठक में दिनांक 02.03.2015 को भाग लेने के लिए प्रथम बार पत्र निर्गत किया गया।
6. दिनांक 16.03.15 को क्रय समित की बैठक हुई जिसमें महापौर, नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, जिला लेखा पदाधिकारी ,वाणिज्य कर पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र कटिहार, अमित इलेक्ट्रीकल, एशियन इन्टरप्राईजेज एवं विजय रेडियो एंड साउण्ड के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
7. दिनांक 03.03.15 को क्रय समिति ने तकनीकी निविदा पर विचार किया एवं दिनांक 16.03.15 को वित्तीय निविदा पर विचारोपरान्त 'विजय रेडियो एवं ईलेक्ट्रीकल हाउस, कटिहार का चयन पोल सहित Single Arm प्रति पीस रू. 79810/–, पोल रहित रू. 32800/– प्रति पीस एवं पोल सहित Double Arm रू. 109900/– पर किया गया। वैट की राशि प्रस्तावित दर पर अलग से जोड़ी जानी थी।
8. स्वीकृत दर पर दिनांक 26.03.15 को एकरारनामा किया गया। जिसमें एक वर्ष का रख– रखाव सम्मिलित था।
9. उक्त दर पर सामानो की आपूर्ति करने के लिए विजय रेडियो एण्ड ईलेक्ट्रीकल को कार्यादेश निर्गत किया गया। (ज्ञापांक सं0 –1068/27.05.2015, 6571/31.03.15, 1962/27.11.2015, 2034/08.12.15, 2088/10.12.15, 98/15.01.16, 291/18.02.16, 290/18.02.16)
10. नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 30.11.15 के प्रस्ताव सं0–04 में 1000 पीस फैन्सी एल.ई.डी. लाईट खरीदने हेतु पूर्व के निविदा सं0 20/14–15 के आधार पर स्वीकृत दर पर खरीदने का निर्णय लिया गया।
11. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की आपूर्ति की गयी एवं कार्यालय द्वारा राशि का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

कम सं0	सामान की विवरणी	दर प्रति पीस	वैट की दर	वैट की राशि	कुल	मात्रा	कुल राशि
1	Single Arm 86 watt with Pol	79810/–	13.5	10774	90584	100	9058400.00
2	Single Arm 86 watt	32800/–	13.5	4428	37228	150	5584200.00
			14.5	4756	37556	730	27415880.00
3	Double Arm with Pol 86 watt	109900/–	14.5	15936	125835	75	9437625.00
		कुल				**1055**	**51496105.00**

भुगतान विवरणी

आपूर्तिकर्ता

कम सं0	सामान की विवरणी	चेक सं0/दिनांक	राशि	मद
1	Single Arm 86 watt with Pol	257922/20.06.15	1955345.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
		257964/29.07.15	1955345.00	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
		843853/08.01.16	3910691.00	
2	Single Arm 86 watt	843902/3.3.16	4821600.00	
		844004/30.5.16	6428800.00	
		844153/14.10.16	5303760.00	
		Vr no-139	7511200.00	
3	Double Arm with Pol 86 watt	843945/28.03.16	8077650.00	
		कुल	39964391.00	

वैट की कटौती की गयी राशि

कम सं0	सामान की विवरणी	चेक सं0/दिनांक	राशि
1	Single Arm 86 watt with Pol		269359.00
			269359.00
		843854/08.01.16	538717.00
2	Single Arm 86 watt	843903/3.3.16	664200.00
		844005/30.05.16	131200.00
		844154/14.10.16	784740.00
		844006/30.05.16	951200.00
3	Double Arm with Pol 86 watt	843946/28.03.16	1195162.00
		कुल	**4803937.00**

आयकर की कटौती की गयी राशि

क्रम सं0	सामान की विवरणी	चेक सं0 / दिनांक	राशि
1	Single Arm 86 watt with Pol		39905.00
			39905.00
		843855 / 08.01.16	79810.00
2	Single Arm 86 watt	843904 / 3.3.16	98400.00
		844006 / 30.05.16	951200.00
		844155 / 14.10.16	108240.00
3	Double Arm with Pol 86 watt	843947 / 28.03.16	164850.00
		कुल	**1482310.00**

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 123 में "लोक क्रय के मूल सिद्धांत" की बात कही गयी है। 126(i) के अनुसार "the specifications in terms of quality, type as also quantity of goods to be procured should be clearly spelt out keeping in view the specific needs of the procuring organizations." परन्तु संचिका के संलग्न निविदा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निविदा में quantity/संख्या की बात कहीं भी नहीं लिखी पायी गयी। कितनी संख्या की आवश्यकता थी इसका आधार निविदा के पहले संचिका में नहीं पाया गया।
2. बिहार वित्त नियमावली को धारा 131(H) के तहत 25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी में Advertised tender enquiry प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जिसके तहत एक से ज्यादा प्रचलित दैनिक सामाचार पत्र एवं Indian Trade Journal, Director General of Commercial Intelligence and Statistics , Kolkata में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी किसी भी प्रकिया का पालन नहीं किया गया था। निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'प्रभात खबर, एवं हिन्दुस्तान' में दिनांक 16.02.15 को निकाली गयी। इसके अलावा 131(H)(v) के अनुसार Ordinarily the minimum time to be allowed for submission of bids should be **three weeks** from the date of publication of the tender notice or availability of the bidding documents for sale, whichever is later.Where the departments also contemplates obtaining bids from abroad the minimum period should be kept as four weeks for both domestic and foreign bidders. परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि निविदा दैनिक समाचार पत्र में 16.02.15 को निकाली गयी जिसमें निविदा डालने की अंतिम तिथि 26.02.2015 दी गयी है। **अर्थात केवल 10 दिन का ही समय दिया गया था।** इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि नियमावली का पालन नहीं किया गया जिसके कारण खरीदारी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।

3. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131(0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Perfomance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य का 05–10 प्रतिशत राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि जब्त की जा सके. परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि न तो काटी गयी और न ही नगर आयुक्त स्तर से इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी संचिका में दृष्टिगोचर हुई। **फलस्वरूप राशि रू. 21796068 का अधिक भुगतान हुआ** और कार्यालय द्वारा Perfomance Security के रूप में राशि की कटौती आपूर्तिकर्त्ता से नहीं करना आपूर्तिकर्त्ता को undue favour की ओर इशारा करती है। विवरणी इस प्रकार है–

कम सं0	समान	कुल मूल्य	परफारमेंस सेक्यूरिटि की राशि	कटौती की गयी राशि	अन्तर	दुकान का नाम
1.	Single Arm 86 watt with Pol	9058400.00	9058435 /–	शुन्य	9058435 /–	विजय रेडियो एण्ड साउण्ड ईलेक्ट्रीकल, कटिहार
2.	Single Arm 86 watt	5584200.00	558420 /–	शुन्य	558420 /–	
		13707940.00	1370794 /–		1370794 /–	
		13707940.00	1370794 /–		1370794 /–	
4.	Double Arm with Pol 86 watt	9437625.00		शुन्य	9437625 /–	
कुल		51496105.00			21796068	

4. कटिहार नगर निगम के द्वारा अंकेक्षण दल को ऐसा कोई आधार नहीं उपलब्ध कराया गया जिससे यह पता चल सके कि कटिहार नगर निगम में कितने बल्ब की आवश्यकता हैं। अर्थात खरीदारी के पहले आवश्यकता का निर्धारण संचिका में नहीं पाया गया। यह इस बात से भी पता चलता है कि निविदा में कितने बल्ब की आवश्यकता है अथवा संख्या का जिक्र नहीं पाया गया।
5. तकनीकि निविदा वाणिज्य कर पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त एवं महापौर की उपस्थिति में दिनांक 16.03.15 को खोली गयी, तकनीकि निविदा खोलते समय जो भी व्यक्ति उपस्थित थे उसमें एक भी व्यक्ति Technical side से नहीं था। तकनीकि निविदा के चयन में तकनीकी व्यक्ति का भाग लेना एवं उनकी सहमति आवश्यक है। बिना तकनीकी व्यक्ति की उपस्थिति में तकनीकी निविदा पर विचार किया गया। बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 जेड एफ का पालन नहीं किया गया।
6. प्रस्तुत की गयी तकनीकी बीड के अवलोकन से यह पता चला कि क्रय समिति के द्वारा BRP 320 LED 86W का चयन किया गया था परन्तु आपूर्तिकर्ता के द्वारा BRP 322

48LEDCW71PCS1PSUGR की आपूर्ति की गयी। नगर निगम द्वारा बल्ब के दर की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसमें BRP 322 48LEDCW71PCS1PSUGR का दर रू. 35000/– दर्शाया गया है। इसमें 48 एल.ईडी. लाइट के बारे में कहा गया है परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि 86 वाट का एल.ई डी.बल्ब फिलिप्स कम्पनी का लगाया गया है। अतः अंकेक्षण दल को यह नहीं बताया गया कि BRP 320 की जगह BRP322 48LEDCW71PCS1PSUGR का 86 वाट से किस प्रकार संबंध है। आगे यह भी नहीं बताया गया कि चयनित बल्ब की आपूर्ति नहीं किए जाने पर भी कार्यालय द्वारा किस प्रकार बल्ब को स्वीकार किया गया एवं उसका भुगतान किया गया।

7. निविदा सं0 20/2014–15 के क्रम सं0 10 में स्थानीय नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सर्विस सेंटर जिसका फोटो सहित पूर्ण पता की मांग तकनीकी निविदा के साथ ही की गयी हैं। जब Philips Company एक साल की गारंटी/वारंटी दे रही थी तो स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर की मांग निविदा के साथ एवं साक्ष्य के रूप मे दुकान का फोटो कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निविदादाता को लाभ पहुँचाने की एक कोशिश है।
8. निविदा दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर एवं हिन्दुस्तान में 16.02.15 को निकाली गयी जिसमें 26.02.15 तक निविदा जमा करने का उल्लेख किया गया था तथा उसी तिथि को अपराहन 2.00 बजे निविदा खोली जानी थी तो कटिहार के बाहर का निविदादाता कैसे 10 दिनों में अपना सर्विस सेंटर खोलेगा यह एक विचारणीय प्रश्न हैं।

आपत्ति के आलोक मे जवाब दिया गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से निविदा प्रकिया को पूर्ण किया गया है तथा बिहार वित्त नियमावली के अनुसार निविदा प्रकिया का पालन किया गया है। बिजली की गड़बडी के कारण विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है अविलम्ब मरम्मती को ध्यान में रखते हुये कुछ प्रावधानो को निविदा में डाला गया है।

जवाब के अनुरूप साक्ष्य अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था।

कंडिका–3 अनुदान की राशि

अनुदान पंजी अवलोकन कम में वर्ष 2016--17 के अनुसार विवरणी निम्नवत पाया गया–

क्रम सं0	मद	प्रा0 अवशेष	सूद	वर्ष 2016–17 में आवंटन	कुल राशि	कुल व्यय	अवशेष
1	बैंक खाता	183102455	13494212	299157432	495754099	61087964	434666135
2	पी0एल0 खाता	207974670	0	333679047	541653717	116245702	425408015
	कुल	391077125	13494212	632836479	1037407816	177333666	860074150

अंकेक्षण टिप्पणी:

1. वर्ष 2016–17 में लाभ की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. अवशेष राशि रू0 860074150 का उपयोग नहीं करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया तथा अगर राशि उपयोग नहीं करना है तो इसे राज्य सरकार को क्यों नहीं लौटाया गया।
3. मद राजीव आवास योजना आधारभूत संरचना में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रू0 75316065 का अनुदान प्राप्त हुआ जिससे कोई भी व्यय नही किया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भेज दिया जायेगा। उपयुक्त राशि का बोर्ड के दिशा–निर्देशानुसार व्यय किया जायेगा। कार्रवाई के परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका –4 पंच फाउंडेशन – एक गैर सरकारी संस्था को भुगतान संबंधी अनियमितता

कटिहार नगर निगम द्वारा अपने 09 वार्डो में सफाई करने के उद्देश्य से दिनांक 13.09.2014 को एक निविदा दैनिक जागरण सामाचार पत्र में निकाली गयी। निविदा के आलोक में पांच निविदादाताओं ने निविदा डाली। जिसमें सेवा–भारत, पंच फाउंडेशन और हर्षीता संस्थाओं के निविदा को तकनीकी रूप से सफल घोषित किया गया। उक्त तीनों संस्थाओं के वित्तीय निविदा के अवलोकन के बाद कय समिति ने सबसे निम्न निविदादाता पंच फाउंडेशन को राशि रू. 8852050/– प्रतिवर्ष के करार पर चयन किया। पंच फाउंडेशन का पैन कार्ड सं0 AABTP1847R है। कार्यादेश सं0 1640/13.10.14 थी।

पंच फाउंडेशन एवं कटिहार नगर निगम के बीच दिनांक 13.10.14 को एकरारनामा हुआ। एकरारनामा के अनुसार निम्नलिखित शर्तो का पालन दोनों पक्षों को करना था।

1. पंच फाउंडेशन कटिहार नगरवासियों को शहर को साफ रखने के लिए aware करेगा। (3.1)
2. पंच फाउंडेशन अपने संसाधनों के माध्यम से ही कार्य करेगा। (3.4)
3. पंच फाउंडेशन नगर आयुक्त एवं महापौर से प्रति महीने बैठक करेगा जिसमें कार्य की समीक्षा की जायेगी। (3.7)

4. पंच फाउंडेशन कटिहार नगर निगम का डम्पिंग साइट का उपयोग करेगा जहां चयनित 09 वार्डो से कूड़ा को उठाकर निर्देशित स्थान पर डम्प करना था, कूड़े को (Bio & Non Bio) में अलग– अलग करना था, तथा फिर उसे Recyle करना था, ताकि कटिहार नगर वासियों को स्वच्छ वातावरण/पर्यावरण मिल सके। (3.8)

5. पंच फाउंडेशन के द्वारा किया गया उक्त सफाई कार्य को पर्यवेक्षण कटिहार नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर इन्चार्ज करेंगे और इंस्पेक्टर इन्चार्ज उक्त सफाई का प्रतिवेदन नगर आयुक्त एवं महापौर को समर्पित करेंगे। (4.7) इसके अलावा कई अन्य शर्त है।

भुगतान विवरणी

क्रम सं0	विपत्र का महीना	चेक सं0	थ्दनांक	डोर टु डोर कचरा उठाने के विरूद्ध प्राप्त राशि	नगर निगम के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के विरूद्ध प्राप्त राशि	भुगतान की गयी राशि
1	अप्रैल 2016	352706	16.05.16	–	60320.00	737670.00
2	मई'2016	352708	10.06.16	26620.00	30160.00	737670.00
3	जुन'2016	352710	12.07.16	–	30160.00	737670.00
4	जुलाई'2016	352712	16.08.16	27000.00	30160.00	737670.00
5	अगस्त'2016	A 844110	10.09.16	23680.00	30160.00	737670.00
6.	सितम्बर 2106	A 844143	1.10.16	24090.00	30160.00	737670.00
7	अक्टुवर'2016	352713	31.10.16	25000.00	30160.00	737670.00
8	नबम्वर'2016	322715	17.12.16	20550.00	30160.00	737670.00
9	दिसम्वर'2016	A 844325	17.01.17	25000.00	30160.00	737670.00
10	जनवरी'2017	352718	7.3.17	68660.00	---	1316854.00
11	फरवरी'2017					
12	मार्च'2017	Vr no-89	15.5.17	–	--	656687.00
						8612571.00

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. पंच फाउंडेशन का पेन संख्या AABTP1847R है। इसने कटिहार नगर निगम एक सरकारी संस्था से सफाई कार्य के लिए एकरारनामा किया। यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत गठित एक गैर सरकारी संस्था है। अतः आयकर अधिनियम की धारा 194/सी/1 के अंतर्गत अंतिम भुगतान पर 2 प्रतिशत आयकर की राशि काट कर ही नगर निगम को अंतिम भुगतान करना चाहिए था, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि आयकर की कम कटौती की गयी। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0		भुगतान की गयी राशि	आयकर के रूप में काटने योग्य राशि	आयकर के रूप में काटी गयी राशि	अन्तर
1	अप्रैल 2016	737670.00			
2	मई 2016	737670.00			
3	जुन 2016	737670.00			
4	जुलाई 2016	737670.00			
5	अगस्त 2016	737670.00			
6	सितम्बर 2016	737670.00			
		4426020.00	88520.00 (2%)	44260.00 (1%)	44260.00

उक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि वर्तमान में 1 प्रतिशत आयकर की कटौती की जा रही है भविष्य मे 2 प्रतिशत आयकर की कटौती की जाएगी। अतः नगर आयुक्त से अनुरोध है कि उक्त नियमानुसार कम कटौती की गयी राशि रू. 44260/– की वसूली संबंधित व्यक्ति/संस्था से की जाय एवं संबधित सरकारी कोष में जमा सुनिश्चित की जाय।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अड़गरा चौक, कांटेहार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं0 पी/42/केटीआर/शा0क0/1/16 दिनांक 08/02/2016 के द्वारा 'अपने क्षेत्र में संविदा पर नियोजित कर्मचारियों/संवेदको को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागु करवाना सुनिश्चित करें जहॉ 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्य करते है वहॉ लागु होना अनिवार्य हैं। प्रधान नियोजक होने के नाते जो भी संवेदक आपके यहॉ कार्य करते है उन पर लागु करवाना आपका कार्य हैं नहीं करवाने पर संवेदक को जो भी भुगतान करेंगे उसपर 6.5 प्रतिशत कर्मचारी राज्य बीमा निगम दावा करेगा।' संचिका में आगे के अवलोकन से यह पता चला कि मे0 पंच फाउंडेशन द्वारा कूट संख्या नहीं लिया गया है अर्थात पंच फाउंडेशन ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत अपने कर्मचारी का बीमा नहीं किया हैं। आगे यह पता चला कि पंच फाउंडेशन ने अपने पत्र सं0 पी.एफ/236/16 दिनांक 06.04.16 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि पंच फाउंडेशन में कार्य करने वाले संविदा कर्मी नियमित नहीं है अर्थात पंच फाउडेशन ने यह स्पष्ट किया कि उनके पास कोई नियमित कर्मी नहीं हैं। अर्थात पंच फाउडेशन के चयन के समय कार्यालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि पंच फाउंडेशन के पास अपने कितने कर्मी हैं। पंच फाउंडेशन के पास कितने लोगों का लेबर लाइसेंस हैं, कितना मानव संसाधन हैं। उनका बीमा करने की क्षमता पंच फाउंडेशन के पास है अथवा नहीं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक सरकारी कार्यालय सरकार द्वारा बनाये गए नियम के विरूद्ध कार्य कर रहा है एवं राशि का लगातार भुगतान कर रहा है। पंच फाउंडेशन को निगम कार्यालय द्वारा एक पत्र सं0 449/12.03.16 निर्गत किया जिसमें कुट सं0 प्राप्त करने की बात कही गयी थी आगे यह भी कहा गया था कि अगर पंच फाउंडेशन

कुट सं0 प्राप्त नहीं करता है तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नगर निगम कटिहार से बीमा राशि 6.5 प्रतिशत कुल भुगतान का दावा करेगा, परन्तु संचिका में पंच फाउंडेशन द्वारा कुट सं0 प्राप्ति का साक्ष्य नहीं पाया गया। अर्थात अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर निगम के पास राशि रू. 559817/– का Liability है। कटिहार नगर निगम द्वारा अंतिम भुगतान करने से पहले बीमा राशि की कटौती नहीं की गयी थी।

उक्त आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि पंच फांउडेशन को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कुट संख्या प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जायगा। अतः नगर आयुक्त से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाय ताकि नगर निगम को भविष्य में होने वाले दायित्व (Liability) से बचाया जा सके।

3. एकरारनामा के शर्त सं0 3.8 के अनुसार पंच फाउंडेशन कटिहार नगर निगम का डम्पिंग साइट का उपयोग करेगा जहां चयनित 09 वार्डो से कूड़ा को उठाकर निर्देशित स्थान पर डम्प करना था, कूड़े को (Bio & Non Bio) में अलग– अलग करना था, तथा फिर उसे Recycle करना था एवं डम्पिंग साइट पर एक सुरक्षा कर्मी की तैनाती करनी थी ताकि कटिहार नगर वासियों को स्वच्छ वातावरण/पर्यावरण मिल सके जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मूल उद्देश्य हैं, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कूड़ा को उठाकर निर्देशित स्थल पर डम्प करने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के बावजूद भी पंच फाउंडेशन को लगातार राशि का भुगतान होता रहा। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय स्तर पर उचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया। इस आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि पंच फांउडेशन द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा एकरारनामा के अनुसार की जाएगी एवं उसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा। अतः नगर आयुक्त से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये ताकि राशि का भुगतान एकरारनामा के अनुसार किया जा सके एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

4. एकरारनामा की शर्त्त सं0 3.5 के द्वारा पंच फाउंडेशन द्वारा स्वच्छ छाता मित्र के अंतर्गत लोगों को रोजगार के व्यवस्था भी की जानी थी, परन्तु पंच फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छ छाता मित्र के अंतर्गत किन लोगों को रोजगार दिया गया की कोई भी जानकारी संचिका में उपलब्ध नहीं पायी गयी। अंकेक्षण दल के द्वारा सूचि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर निगम के द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक सूचि उपलब्ध नहीं करायी गयी।

5. एकरारनामा के शर्त सं0 4.7 के द्वारा पंच फाउंडेशन के द्वारा उक्त सफाई कार्य का पर्यवेक्षण कटिहार नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर इन्चार्ज करेंगे और सेनेटरी इंस्पेक्टर इन्चार्ज उक्त

कार्य का प्रतिवेदन नगर आयुक्त एवं महापौर को समर्पित करेंगे, किन्तु संचिका में ऐसी कोई प्रतिवेदन संलग्न नहीं पायी गयीं। अंकेक्षण दल के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करायी गयी।

6. एकरारनामा की शर्त सं0 3.4 के अनुसार पंच फाउंडेशन को अपने संसाधनों के माध्यम से ही सारा कार्य करना था, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि कटिहार नगर निगम के द्वारा पंच फाउंडेशन को एक काम्पैक्टर उपलब्ध कराया गया है इससे यह प्रतीत होता है कि निविदा के चयन के पहले पंच फाउंडेशन के पास उपलब्ध संसाधनों पर सम्यक विचार नहीं किया गया। इस संबंध में कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

7. एकरारनामा की शर्त सं0 3.1 के अनुसार पंच फाउंडेशन कटिहार नगरवासियों को शहर को साफ रखने के लिए aware करेगा, किन्तु संचिका में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया जिससे यह पता चल सके कि पंच फाउंडेशन ने कटिहार नगरवासियों को शहर को साफ रखने के लिए aware करने की दिशा में कोई सकारात्मक कार्य किया है। इस आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि पंच फांउडेशन द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा एकरारनामा के अनुसार की जाएगी एव उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। अतः नगर आयुक्त से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये ताकि राशि का भुगतान एकरारनामा के अनुसार किया जा सके।

8. एकराननामा की शर्त सं0 3.7 के अनुसार पंच फाउंडेशन नगर आयुक्त एवं महापौर से प्रति महीने बैठक करेगा जिसमें सफाई कार्य की समीक्षा की जाएगी, परन्तु इस तरह के कार्यवाही की कोई साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया परन्तु राशि का भुगतान पंच फाउंडेशन को होता रहा। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि कार्यालय स्तर पर एकरारनामा की शर्त को सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया था, परन्तु उसका पालन किसी भी स्तर पर नहीं किया गया। इस आपत्ति के संबंध में कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि पंच फांउडेशन द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा एकरारनामा के अनुसार की जाएगी एवं उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। अतः नगर आयुक्त से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाये जाये ताकि राशि का भुगतान एकरारनामा के अनुसार किया जा सके।

9. PUNCH FOUNDATION will organize campaign to build awareness on zero waste concept in communities, school, shops & enterprises of Katihar city. Newspaper advertisements in local dailies and news channels messages will be given besides using other method of communication by PUNCH FOUNDATION. All costs and expenses for such advertisements and communication shall be borne entirely by PUNCH FOUNDATION. परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य संचिका में नहीं पाया गया। इस संबंध में

कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः नगर आयुक्त से अनुरोध है कि जवाब अंकेक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

10. पंच फाउंडेशन के द्वारा समर्पित सभी विपत्र, निविदा की तकनीकी एवं वित्तिय प्रति एवं काम्पैक्टर को लौगबुक अंकेक्षण के समक्ष आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
11. पंच फाउंडेशन के द्वारा कुल 09 चयनित वार्डो में कितने मजदूर प्रतिदिन कार्य करतें है। सूची एवं संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध अंकेक्षण दल के द्वारा किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक सूची एवं संख्या दल उपलब्ध नहीं कराया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि 1. शेष एक प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी। 2. कर्मचारी राज्य बीमा के अधिनियम के तहत कुल संख्या प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। 3. किये जा रहे कार्य की समीक्षा एकरारनामा के अनुसार की जायेगी एवं उसी के अनुसार भुगतान किया जाता है। जवाब के अनुरूप किये गये कारवाई का साक्ष्य अंकेक्षण कार्यालय महालेखाकार बिहार को अवगत कराया जाये।

कंडिका 5 मेडिकल कॉलेज पर बकाया गृह कर रू0 4834573

मेडिकल कॉलेज के पत्रांक के0एम0सी0/1996/17 दिनांक 05.12.17 के अवलोकन में निम्नांकित बिन्दू पाये गये।

1. मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1987 में चेरिटेबल उदेश्य के लिये मुस्लिम माईनेरिटी कम्यूनिटी सोसाईटी एक्ट के अन्तर्गत हुई थी।
2. पत्र में दावा किया गया है कि मेडिकल हॉस्पिटल चेरिटबल कार्य कर रहा है किन्तु उक्त संबंध में कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं था।
3. बेबसाईट के Addmission Prospectus के अनुसार कैम्पस का क्षेत्रफल लगभग 55 एकड़ भूमि में है और यह 9000 वर्गफीट में बना हुआ है। साथ ही अंकित है कि The college cosists of various buildings housing different facilities such as administrative block, lecture theatre, separate hostels for boys, girls and interns. For PG students 155 suits with attached kitchen and bathroom, emergency and casuality services, OPD, 600 beds hospital with modern theatre. 102 quarters for teachers.
4. Addmission Prospectus के अनुसार 100 सीट है तथा Annual Fee 1250000 प्रतिवर्ष है। Hostel accommodation fee 125000 प्रतिवर्ष है। कितने सीट चेरिटबल कार्य में प्रयोग किया जा रहा है की पृच्छा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान मेडिकल कॉलेज पर कुल रू0 4834573 गृह कर बकाया के रूप में पाया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि नगर निधि से गृह कर का भुगतान 2012–13 तक किया गया था।

2. 2013–14 से अबतक मेडिकल कॉलेज के कम्पॅस में नव–निर्मित विस्तृत विवरणी कॉलेज कार्यपालक से प्राप्त कर एवं वर्तमान समय में नगर निगम के नियमानुकुल पूर्व एवं वर्तमान के कुल कर की गणना कर मेडिकल कॉलेज राशि की वसुली हेतु पत्राचार किया जायेगा। कार्रवाई के परिणाम से अवगत कराया जाय।

कंडिका–6 आयकर की कटौती नहीं करने से अधिक भुगतान राशि:– 0.96 लाख

केन्द्र या राज्य सरकार या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत गठित कोई सोसायटी अगर किसी व्यक्ति या संस्था को यात्री या सामान ढोने के लिए राशि का भुगतान करता है तो आयकर अधिनियम–1961 की धारा 194 के तहत निहित प्रावधानो के अनुसार आयकर की कटौती करने के बाद ही अन्तिम भुगतान किया जाएगा।

अगर पैन संख्या यात्री या सामान ढोने वाले व्यक्ति के नाम पर निर्गत है तो कुल भुगतान का 1 प्रतिशत, अगर संस्था के नाम पर निर्गत है तो 2 प्रतिशत उस व्यक्ति या संस्था ने कांट्रैक्ट के समय या भुगतान से पहले पैन संख्या कार्यालय को समर्पित नहीं किया है तो कुल भुगतान का 20 प्रतिशत कटौती करने के बाद ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए।

नगर निगम कटिहार कार्यालय के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्यालय में पांच टैक्टर सफाई कार्य एवं दो जेसीबी दिनांक–05.12.2016 से 08.12.2016 मुख्यमंत्री के आगमन पर साफ–सफाई हेतु किराये पर ली गयी थी। जिसकी विवरणी निम्न है–

क्र0 सं0	गाड़ी सं0	गाड़ी सप्लायर का नाम	अभि श्रव सं0	चेक सं0/दिनांक	राशि (रू0)	आयकर की राशि (20%)	आयकर की कटौती की गयी	अन्तर की राशि	अभियुक्ति
1	–	बाजार से	731	-	48000	9600/–	शून्य	9600	2 जेसीबी
2	BR39E/5992 BR11B/8297 BR39K/5595	मनोज कु0 सिंह	467	A844128 /24.09.16	181200	36240/–	शून्य	36240	3 ट्रैक्टर
3	BR39K5595 BR39E5992 BR11D1320 BR39P3625 .BR11B8297	मनोज कु0 सिंह	736	A844320 /14.01.17	262548	52510/–	2625/–	49885	5 ट्रैक्टर
					491748			95725	

उक्त दोनों प्रकार की गाड़ियों पर अवेक्षण अवधि के दौरान राशि रू. 491748/– का व्यय किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी–

प्रस्तुत की गयी संचिकाओं में किसी भी वाहन मालिक द्वारा पैन सं0 की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। इस परिस्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 194/सी/1 के अन्तर्गत कुल भुगतान के 20 प्रतिशत की कटौती अर्थात राशि रू. 95725 करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित गाड़ी मालिकों से राशि वसूली कर ली जायेगी। वसुली गयी राशि का साक्ष्य लेखा परीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

कंडिका– 7 डीजल मोबिल पर व्यय (राशि रू. 29.97 लाख)

नगर निगम, कटिहार में प्रस्तुत लेखापाल रोकड़ बही के नमूना जाँच के अनुसार लेखा वर्ष 2016–17 में विभिन्न वाहनों में प्रयुक्त ईधन मोबिल डीजल मद में कुल रू. 2997281/– व्यय किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

कम स0	अभिश्रव सं0	दिनांक	राशि
1	54,55	13.04.2016	554468/–
2	266	12.07.2016	313621/–
3	136	28.05.2016	314604/–
4	464	23.09.2016	383964/–
5	465	23.09.2016	339011/–
6	732	14.01.2017	37744/–
7	780	31.01.2017	407241/–
8	872	07.03.2017	322061/–
9	219	25.06.2016	324567/–
		कुल––	**2997281/–**

परन्तु अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये विभिन्न वाहनों के लॉगबुक का संधारण निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वाहनों का माइलेज क्या था।

विभिन्न वाहनों को नगर निगम द्वारा आपूर्ति की गई डीजल में कितना दूरी तय किया गया यह निर्धारित नहीं होने के कारण वाहनों की आपूर्ति की गई डीजल के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि तय की गयी दूरी तथा माईलेज के अधार पर डीजल/मोबिल ईधन की आपूर्ति की जाती है। इसका लॉगबुक संधारण होता है निर्धारित प्रपत्र में अब से इसका संधारण किया जायेगा।

तय की गयी दूरी तथा माईलेज के आधार का साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

कंडिका– 8 कम सुरक्षित जमा के कारण रू. 8.00 लाख की हानि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार पटना के वर्ष 1982 के दिये गये दिशा निर्देशानुसार सैरातों की बंदोबस्ती की सुरक्षित जमा की राशि पिछले तीन वर्ष के औसत में पन्द्रह प्रतिशत जोड़कर/ पिछले वर्ष की सुरक्षित जमा राशि में दस प्रतिशत जोड़कर दोनों में जो अधिक हो उस राशि से कम सुरक्षित जमा के रूप में राशि का निर्धारण नहीं किया जायेगा।

नगर निगम, कटिहार के द्वारा सैरातों की बंदोबस्ती से संबंधित अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये संचिका से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016–17 में सैरातों की बंदोबस्ती हेतु निर्धारित की गई सुरक्षित जमा

राशि कम होने के कारण नगर निगम, कटिहार को राजस्व की हानि रू0 799900 हुआ। जिसकी विवरणी निम्न है :–

क्र0सं0	सैरात का नाम	2015–16 की सुरक्षित जमा राशि	2016–17 के लिए 10 प्रतिशत बढ़ाने पर सुरक्षित जमा राशि	2016–17 के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित जमा राशि	कम सुरक्षित जमा के कारण राजस्व की हानि (रू0)
1	2	3	4	5	6
1	होर्डिंग्स	835000	918500	861000	57500
2	बाजार अंश भाग 2	4384000	4822400	4385000	437400
3	बड़ा बाजार चालिसा हाट	135000	148500	144000	4500
4	बस स्टैण्ड	3025000	3327500	3031000	296500
5	पशुवधशाला	40000	44000	40000	4000
				कुल–	799900

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि तीन वर्षों में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ सुरक्षित जमा का निर्धारण किया जाता है। कुछ सैरातो का बदोबस्ती नहीं होने के कारण विभागीय वसुली की जाती है। पूर्व लेसी द्वारा राशि बढ़ाकर बन्दोबस्ती लेने तथा बीच में ही राशि वसूली नहीं होने के कारण पूनः भाग नहीं लेने पर विभागीय वसूली की जाती है।
विभागीय वसूली जवाब मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व वर्ष की तुलना में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी।

कंडिका–9 अलग बैंक खाते का संधारण नहीं

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित ज्ञापांक सं0–2 व0/राज्य वित्त आयोग–25.02.2015/124 दिनांक–21.03.2016 में दिये गये दिशानिर्देश के कंडिका–04 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना (कुल अनुदान का 30 प्रतिशत) तथा मुख्यमंत्री नली–गली पक्कीकरण योजना अनुदान का 20 प्रतिशत तथा अलग से इस मद में प्राप्त अनुदान को अलग– अलग बैंक खातों में रखना था। लेकिन नगर निगम द्वारा कुछ राशि बैंक में रखा गया था तथा शेष राशि रू. 116531342 P/L खाता में था।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि राशि कोषागार में जमा है। यथाशीघ्र उक्त राशि को राष्टीयकृत बैक में हस्तांतरित कर दिया जायेगा। हालांकि इस संदर्भ में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है।

किये गये कार्रवाई के फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय महालेखाकार बिहार को अवगत कराया जाये।

कंडिका–10 सरकारी राजस्व की हानि– रू0 6.46 लाख

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 9/0 सै0 –01–बेतिया–77/2015–509(9)/रा0 दिनांक– 17.08.2015 के अनुसार अनुबंधन शुल्क – एवं स्टाम्प शुल्क की राशि क्रमशः 5%+5% कुल 10% की वसुली 1 वर्ष के लिए बन्दोबस्ती में करना था।

लेकिन इस दिशा –निर्देश के विपरीत कटिहार नगर निगम द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए की गई सैरातो की बन्दोबस्ती का अनुबंध राशि रू0 1000/– के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर किया गया था। इस कारण राज्य सरकार को रू0 646010/– राजस्व की क्षति हुई जिसकी विवरणी निम्न है –

क्रम सं0	बन्दोबस्ती का नाम	उच्चतम डाक वक्ता	बन्दोबस्ती की राशि	निबंधन शुल्क 5%	स्टाम्प शुल्क 5%	कुल राशि (5%+5%)	स्टाम्प शुल्क की वसूली	अन्तर की राशि
1	होर्डिंग्स	मो0 रामजानी आलम	861000	43050	43050	86100	1000	85100
2	बाजार अष भाग 1	मैनेजर साह	4385000	219250	219250	438500	1000	437500
3	बाजार अंश भाग 2	मैनेजर साह	787000	39350	39350	78700	1000	77700
4	बड़ा बाजार चलिसा हाट	शंकर प्रसाद साह	144000	7200	7200	14400	1000	13400
5	बस स्टैण्ड	सुजीत कु0	3031000	151550	151550	30310	1000	29310
6	पशुवधशाला	मो0 सलीम	40000	2000	2000	4000	1000	3000
	कुल राजस्व की हानि–							**646010**

राज्य सरकार के दिशा निर्देश के नहीं पालन करने के कारण नगर निगम कटिहार द्वारा राजस्व क्षति रू0 646010 हुई।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि इस संदर्भ में सरकार से निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

किये गये कार्रवाई के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय महालेखाकार पटना को अवगत कराया जाये।

कंडिका–11 विभागीय वसूली के कारण नगर निगम को राजस्व की हानि रू0 4.50 लाख

नगर निगम कटिहार द्वारा डाक सूचना सं0 01/2016–17 दिनांक– 16.02.2016 द्वारा वर्ष 2016–17 के 09 सैरातो की बन्दोबस्ती हेतु विज्ञापन दिया गया था जिसमें से 7 सैरातो की बन्दोबस्ती हुई तथा 3 सैरातो को विभागीय वसूली की गई जिसमे से न्यू मार्केट के लिए सुरक्षित जमा राशि रू0 862000/– के विरूद्ध रू0 460230/– की वसूली की गई थी तथा अन्य एक सैरात वाहन पार्किंग जिसकी सुरक्षित जमा राशि रू0 81650 रू0 के विरूद्ध रू0 33585 की विभागीय वसूली की गई थी। उपरोक्त दोनों सैरात की विभागीय वसूली की जिम्मेदारी विभागीय कर्मी श्रीकांत परिहार को सुपुर्द किया गया था। उपरोक्त विवरणी से स्पस्ट है कि दोनों सैरातों की कुल सुरक्षित जमा राशि 943650 रू0 (862000+81650) था। जिसके विरूद्ध कुल विभागीय वसूली 493815 रू0 (460230+33585) था अर्थात रू0 449835 (943650-493815) की कम वसूली किया गया। इससे स्पष्ट है कि रू0 449835 की हानि हुई थी।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि डाकवक्ता नहीं आने के कारण विभागीय वसूली की गयी। विभागीय वसूली में कर्मचारी अपने कार्य के अतिरिक्त वसूली कार्य करते है। सैरात की बन्दोबस्ती नहीं होने का मुख्य कारण उसकी क्षमता में कमी आना है। इस संदर्भ में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

किये गये कार्रवाई के फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय महालेखाकार पटना को अवगत कराया जाये।